

## राज्य सरकारों के बजटों का वर्गीकरण :- (Classification of State Budget)

भारत सरकार के बजट के आर्थिक और कार्यात्मक वर्गीकरण के अनुरूप राज्य में भी बजटों के वर्गीकरण की प्रक्रिया अपनाई गई। प्रारंभ में राज्य सरकारों के बजटीय आर्थिक वर्गीकरण में तीन विवरण थे, अर्थात् -

- विवरण संख्या 1: प्रशासनिक विभागों का आय और परिव्यय खाता।  
विवरण संख्या 2: विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों का उत्पादन खाता।  
विवरण संख्या 3: सामान्य सरकार का वित्त-पौषण खाता।

इस प्रकार विदित होता है कि प्रारंभ से ही राज्यों द्वारा अपनाया गया आर्थिक वर्गीकरण केन्द्रीय सरकार के वर्गीकरण की तुलना में बहुत संकीर्ण था। इसमें वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं, तथा मिलात के विवरण नहीं थे, तथा इनमें दर्शाई गई मदों में भी सुधार की अधिक गुंजाइश थी।

इसके अतिरिक्त राज्यों के आर्थिक - कार्यात्मक वर्गीकरण की रूपरेखा भी केन्द्रीय सरकार द्वारा अपनाया गए ढाँचे के अनुरूप नहीं थी। आर्थिक वर्गीकरण के दो भाग थे, अर्थात्

(क) पूंजी व्यय; और

(ख) राजस्व व्यय।

इन दोनों भागों में अपने-अपने मठ-वर्ग और अर्थात् है। इसी प्रकार कार्यात्मक वर्गीकरण के भाग में 9 मुख्य मठ-समूह थे, अर्थात्

- 1) सामान्य सेवाएँ;
- 2) रक्षा (इस भाग में कोई राशि नहीं होती);
- 3) शिक्षा;
- 4) स्वास्थ्य;

(2)

- 5) सामाजिक सुरक्षा और कल्याण की स्कीम ;
- 6) आवास तथा सामूहिक सेवाएँ ;
- 7) सांस्कृतिक, मनोरंजन तथा धार्मिक सेवाएँ ;
- 8) आर्थिक सेवाएँ ;
- 9) अन्य सेवाएँ ; तथा
- 10) कुल जोड़ ।

बिंदित है कि राज्यों के बजटों का कार्यात्मक वर्गीकरण केन्द्र के कार्यात्मक की तुलना में अधिक विस्तृत था। इसमें कोई 'अवधि' व्यय मूल नहीं थी, जो स्वयं में एक श्रेयस्कर उपलब्धि थी।

निष्कर्ष - स्पष्ट है कि सरकार के सभी स्तरों (केन्द्रीय, राज्यीय और स्थानीय) के बजटों के आर्थिक और कार्यात्मक वर्गीकरणों की उपयोगिता में बढावरी करना आवश्यक भी है और संभव भी। इस उद्देश्य हेतु निम्नलिखित सुझावों को अपनाने की सिफारिश की जा सकती है -

- पिछले अनुभव को ध्यान में रखते हुए बजट के आर्थिक और कार्यात्मक वर्गीकरण का एक ऐसा नया, उपयोगी और संरचनात्मक स्वरूप तैयार किया जाए जिसे सरकार के सभी स्तरों पर अपनाया जा सके ;
- सरकार के सभी स्तरों पर इस नए वर्गीकरण को अपनाया जाए ;
- सरकार की सभी स्तरों के बजटों के वर्गीकरणों को विधिवत् और बिना देरी के तैयार और प्रकाशित करें ;
- सरकार के सभी स्तरों के बजटों का एकीकृत वर्गीकरण विधिवत् और बिना देरी के तैयार और प्रकाशित किया जाए ;
- इस एकीकृत वर्गीकरण के अनुरूप पूरी अर्थव्यवस्था के कार्यकलापों को भी वर्गीकृत किया जाए ।

परंतु, उपरोक्त सुझावों में से किसी को भी न अपनाए जाने के परिणामस्वरूप भारत सरकार और राज्यों के वजतीय वार्गिकरणों से प्राथमिक जानकारी और नीति-साहायता का लाभ नहीं उठाया जा सका। क्लैट कालान्तर में केंद्रीय वजत के वार्गिकरण भी कम हो गई है। इसका एक कारण यह भी है कि कालान्तर में राज्यों की अपने वजतों के वार्गिकरण के बारे में उदासीनता बढ़ती गई है। वर्तमान स्थिति यह है कि अधिकतर मामलों में

- राज्यों इस वार्गिकरण के अस्तित्व और आवश्यकता को लगभग भूल चुके हैं; अथवा
- उन्होंने इसमें अपनी इच्छानुसार संशोधन कर लिए हैं; अथवा
- इस वार्गिकरण के औचित्य को स्वीकारते हुए भी इसके विवरण और आंकड़े अपलब्ध नहीं कराते; अथवा
- केवल राज्य की 'आर्थिक समीक्षा' में इसके बारे में थोड़ी-सी जानकारी दे दी जाती है; अथवा
- प्रकाशित जानकारी वर्षों पुरानी होने के कारण बेकार होती है।

परंतु इन सब त्रुटियों का यह अर्थ नहीं बनता कि वजतों का आर्थिक और कार्यात्मक वार्गिकरण बेकार है। इसके विपरीत परिणाम यह निकलता है कि इसमें थोड़े-थोड़े सुधार द्वारा तथा व्यापक रूप से अपनाते हुए विश्लेषणात्मक और नीति-उपयोगी बढ़ानी चाहिए। इसके अतिरिक्त यह भी ध्यानरहित है कि कार्यात्मक वार्गिकरण 'कार्यक्रम एवं निष्पादन वजतों' (programming and performance -ance budgeting) जैसे अर्थपूर्ण और उपयोगी वजतीय विधियों की संरचना में भी सहायक सिद्ध होती है।